न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2330 सन 2026
CNR No. UPSP 01006035 2026

1.आशीष सिंघल पुत्र रविन्द्र कुमार सिंघल
2.सविता सिंघल पत्नी रविन्द्र कुमार सिंघल
3.सचिन सिंघल पुत्र रविन्द्र कुमार सिंघल
निवासीगण मदनपुरी कालोनी, थाना मण्डी जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मुकदमा अपराध संख्या 207/2026
धारा–191(2),318(4),111,61(2),115(2),352,
351(3) बी0एन0एस0
थाना मण्डी, जिला सहारनपुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

08.06.2026

आवेदक/अभियुक्तगण आशीष सिंघल, सविता सिंघल व सचिन सिंघल की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा स्वयं के शपथ पत्र दाखिल किये गये है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी गौरव अरोडा द्वारा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि वह रायवाला बाजार सहारनपुर में मैसर्स पालकी फैशन के नाम से साडियो का शौरूम चलाता है। उसके पिता खैराती लाल के मित्र किशन लाल मिडडा के माध्यम से वादी की पहचान रविन्द्र कुमार सिंघल से हुई थी। माह मार्च 2024 में रविन्द्र कुमार सिंघल के पुत्र आशीष सिंघल उर्फ आशु व सचिन सिंघल वादी की दुकान पर आये और उनके द्वारा बताया गया कि वह ठेकेदारी का काम करते है, इस काम में उन्हे काफी बचत हो जाती है। उक्त दोनो द्वारा बताया गया कि वह अप्रैल में देशी शराब का होलसेल डिपू का ठेका ले रहे है और इस काम के लिए उन्हे कुछ रूपयो की जरूरत है। वह वादी से उक्त कार्य में जितने रूपये निवेशित करायेगे उसके अनुसार ही वह वादी को प्रतिमाह मुनाफा देते रहेगे। विपक्षीगण द्वारा वादी को अपनी माता सविता सिंघल के मिलवाया गया और यह बताया गया कि वह अपनी माता की फर्म मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी के नाम पर होलसेल पर देशी शराब का ठेका ले रहे है। विपक्षीगण व उनकी माता द्वारा विश्वास दिलाये जाने पर वादी द्वारा अपनी फर्म से कुल 50,00,000/रू0 आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से महालक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी के खाता में विपक्षीगण को दिये। माह अप्रैल 2024 से माह मार्च 2025 तक विपक्षीगण द्वारा वादी को 12 माह तक 50,000/रू0 प्रतिमाह की दर से कुल 06 लाख रूपये का आंशिक भुगतान किया गया जबकि वादी व विपक्षीगण के मध्य तय शर्त के अनुसार विपक्षीगण को 1,50,000/रू0 प्रतिमाह की दर से वादी को अंकन–1,80,000/रू0 अदा करने थे। उक्त अवधि के उपरान्त विपक्षीगण द्वारा यह कहकर कि दिनांक 31.03.2025 को होल सेल शराब का डिपू बंद हो गया है, वादी को मुनाफा देना बंद कर दिया गया। इसके बाद विपक्षीगण द्वारा वादी को बताया कि उन्होने एक वर्ष के लिए रिन्यूअल करा लिया है और जल्द ही वह वादी को उसका मुनाफा जल्द ही अदा करेगे। लेकिन इसके बाद विपक्षीगण द्वारा वादी को कोई धनराशि अदा न करने पर वादी द्वारा विपक्षीगण से अपने रूपयो का तकाजा किया गया तो विपक्षीगण द्वारा वादी को कुछ धनराशि अदा की गयी। इसी दौरान वादी को ज्ञात हुआ कि विपक्षीगण द्वारा अन्य व्यक्तियो को भी झूठे झांसे में लेकर लाखो करोडो रूपये हडप लिए गये है। वादी द्वारा विपक्षीगण पर रूपयो का तकाजा किया गया तो विपक्षीगण वादी से रंजिश मानने लगे और दिनांक 16.11.2025 की सुबह 10:30 बजे जब वादी अपने पिता

खैरातीलाल के साथ रायवाला स्थित अपने शोरूम पर बैठा हुआ था तभी समय करीब 11 बजे विपक्षीगण आशीष सिंघल, सचिन सिंघल व सविता सिंघल दो अज्ञात व्यक्तियो के साथ वादी की उक्त दुकान पर आये और वादी को मॉ बहन की गन्दी गन्दी गालियॉ देते हुए कहने लगे कि तुमने उन्हे पूरे शहर में बदनाम कर दिया है आज इसका मजा चखायेगे तथा वादी के साथ धक्क मुक्की करना शुरू कर दिया। वादी के पिता बीच बचाव करने आये तो विपक्षीगण ने उनके साथ भी धक्का मुक्की की। शोर सुनकर आस पास के लोगो के आने पर विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये। विपक्षीगण द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचकर संगठित गिरोह बनाकर वादी के साथ धोखा धडी कर उसके 50,00,000/रू0 मूल व 36,00,000/रू0 मुनाफा के हडप कर लिए है।

वादी की उक्त तहरीर के आधार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना पर यह अभियोग पंजीकृत का मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि कथित अपराध से अभियुक्तगण का कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा वादी से मात्र ब्याज पर रकम ली गयी और उनके द्वारा भिन्न भिन्न तिथियो पर वादी को धनराशि अदा कर कुल 53 लाख 95 हजार अदा किये गये है। वादी द्वारा अभियुक्तगण को तंग परेशान करने की गरज से 15 माह बाद यह झूठी रिपोर्ट दर्जक करायी गयी है। प्रार्थी सविता सिंघल व आशीष सिंघल के विरूद्ध वादी व अन्य व्यक्तियो के उकसाने पर एक झूठा मामला मु0अ0सं0–85/2026 दर्ज कराया गया है, उक्त मामला भी व्यापारिक लेन देन के कारण ही दर्ज कराया गया है। उक्त मामले में अभियुक्ता सविता सिंघल व आशीष सिंघल जमानत पर है। अभियुक्त की ओर से उपरोक्त आधारो पर उन्हे अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने की याचना की गयी।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण द्वारा वादी जिससे उनकी पुरानी जान पहचान थी के साथ धोखा धडी कर नाजायज लाभ अर्जित करने के आशय से संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक षडयंत्र के तहत स्वॅय के द्वारा देशी शराब का होल सेल का ठेका लेने और उक्त कार्य में धनराशि निवेशित करने पर आर्थिक लाभ कमाने का विश्वास वादी को दिलाकर उससे 50 लाख रूपये की धनराशि प्राप्त करने, वादी व उसके पिता के साथ गाली गलोच, धक्का मुक्की करने व जान से मारने की धमकी देने के सन्दर्भ में थाना पर यह अभियोग पंजीकृत किया गया है। केस डायरी पर अंकित **<u>वादी गौरव अरोडा</u>** द्वारा अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कथनो का समर्थन करते हुए, अभियुक्तगण आशीष सिंघल उर्फ आशु, सचिन सिंघल द्वारा अपनी माता सविता सिंघल की फर्म मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडिग कम्पनी के नाम से देशी शराब का होल सेल का ठेका लेने की बात कह कर उसे अपनी माता सविता सिंघल से मिलवाने तथा सविता सिंघल, आशीष सिंघल व सचिन सिंघल के विश्वास दिलाये जाने पर आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सविता सिंघल की कम्पनी में देशी शराब के ठेके में निवेश हेतु 50 लाख रूपये जमा कराये जाने व अभियुक्तगण द्वारा कुछ समय तक मुनफा की धनराशि उसे अदा करने के बाद देशी शराब का डिपू बंद होने की बात कह कर मुनाफा देना बंद करने, इसके अतिरिक्त टैण्डर के काम हेतु अभियुक्तगण को 23,45,000/रू0 नगद प्रदान किये जाने, रूपयो का तकाजा करने पर अभियुक्तगण द्वारा वादी व उसके पिता के साथ गाली गलोच, धक्का मुक्की व जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है। उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसे जानकारी मिली है कि अभियुक्तगण द्वारा रामलल्लन शुक्ला से व्यापारित लेने देने के रूप में धनराशि प्राप्त कर हडपने के सम्बन्ध में उनके विरूद्ध मु0अ0सं0–85/2026 दर्ज करायी गयी है। केस डायरी पर अंकित साक्षी **<u>किशनलाल मिद्दा</u>** द्वारा अपने बयान में स्वॅय की जान पहचान के कारण वादी गौरव अरोडा उसकी पिता खैराती लाल अरोडा की मुलाकात रविन्द्र कुमार सिंघल से होने का कथन किया है। केस डायरी पर अंकित साक्षी **<u>पुलकित</u>**

जैन अपने बयान में 2026 में उसकी जान पहचान अभियुक्तगण से होने और विपक्षीगण द्वारा उसके साथ भी धनराशि के लेन देने के सम्बन्ध में धोखा धडी करने का कथन किया गया है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) एवं वादी के प्राईवेट अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा न केवल वादी के साथ बल्कि जनता के अन्य लोगो के साथ भी इसी प्रकार का व्यापारिक सम्बन्ध बनाकर कर उनसे धनराशि प्राप्त कर उन्हे आर्थिक क्षति कारित करने जैसे अपराध कारित किये गये है, केस डायरी के अवलोकन से विवेचक द्वारा उक्त सम्बन्ध में केस डायरी पर पर्याप्त साक्ष्य संकलित किया जाना परिलक्षित है। विवेचक द्वारा केस डायरी पर संकलित साक्ष्य से प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित है। मामले की विवेचना प्रचलित है और मामले में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शेष है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा साक्ष्य प्रभावित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में सन्दर्भ में अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं0–13157/2026 आशीष सिंघल व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य योजित कर उक्त रिट याचिका में प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में स्वॅय की गिरफतारी पर रोक लगाये जाने व उक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। वर्तमान में उक्त रिट याचिका विचाराधीन होने के बावजूद भी अभियुक्तगण की ओर से उक्त तथ्य को छिपाते हुए, अभियुक्तगण द्वारा उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचित स्वॅय की गिरफतारी पर रोक सम्बन्धी अनुतोष के समतुल्य इस न्यायालय से प्रस्तुत मामले में स्वॅय की अग्रिम जमानत का अनुतोष याचित किया गया है। इस कारण से अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संधारणीय नहीं है।

थाना से प्राप्त आख्या में आवेदक/अभियुक्तगण आशीष सिंघल एवं सविता सिंघल के विरूद्ध इस मामले में अतिरिक्त इसी प्रकार के अपराध से सम्बन्धित मु0अ0सं–85/26 धारा–316(2),352,351(3) बी0एन0एस0 थाना मण्डी सहारनपुर पर दर्ज होना दर्शित किया गया है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियुक्तगण के आचरण को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। मामले के गुण दोष पर बिना कोई विचार किये, अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **आशीष सिंघल, सविता सिंघल एवं सचिन सिंघल** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित सम्बन्धित थानाध्यक्ष/विवेचक तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जाये।

दिनांकः–08.06.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891